68

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR
(LOCAL AUDIT WING), PATNA -800001

NO. L.A.Sur/ 414

Dated: - 16.01.08

To,

The Secretary,
Urban Development Department,
Government of Bihar, Patna

Sir,

Audit Report **No. 406/2007-08** on the accounts of **Nagar Panchayat, Sherghati** for the Period **2003-04 to 2006-07** is enclosed for your kind information and necessary action.

Yours faithfully

16/1/08

Encl: -As above

(S. N. Sharma)
Audit Officer/Surcharge
Local Audit Wing, Bihar, Patna

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 406 के 07-08

प्रस्तावना

नगर पंचायत शेरघाटी के वर्ष 2003-04 से 06-07 तक के लेखाओं की नमूना जाँच प्रधान महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना के एक लेखा परीक्षा दल द्वारा 05.09.07 से 28.09.07 तक की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

क0सं0	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का नाम	अवधि
1.	श्री जयन्त कुमार सिंह	01.04.03 से 31.03.07
2.	श्री रामलखन पासवान(उपाध्यक्ष)	01.04.03 से 31.03.07

कार्य पालक पदाधिकारी का नाम		
1.	श्री शैलेन्द्र कुमार (वि0प्र0से)	01.04.03 से 02.04.04
2.	श्री रमेश चन्द्र चौधरी(वि0प्र0से)	03.04.04 से 31.03.07

3. लेखा परीक्षा का क्षेत्र

अंकेक्षण में जाँच किये गये अभिलेखों की सूची परिशिष्ट-I में तथा अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किये गये अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट-II में दी गई है।

4. प्रमुख अंकेक्षण उपलब्धियाँः-

क0सं0	कंडिका सं	राशि	विवरण
1.	21	21,62,69.00	दुकान किराया बकाया
2.	22	43,746.00	खाद्य अनुज्ञप्ति शुल्क बकाया
3.	24	271,541.00	ट्रान्समिशन शुल्क बकाया
4.	25	56,500.00	अधिभार हेतु प्रास्तावित राशि
5.	26	2,06,311.75	कम/ नहीं जमा
6.	29(i)(ii)	3,770.00	अधिक भुगतान
7.	29(2)(i)	7500.00	अधिक भुगतान
8.	31	53,56,435.00	अग्रिम की राशि

5. **पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन**

पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की स्थिति इस प्रकार है।

क्र0सं0	प्रतिवेदन सं0/अवधि	कुल कंडिका सं0	कंडिका निरस्त की सं0	लंबित कंडिकाएँ	अभियुक्ति
1.	प्रतिवेदन सं0:–201/77–78 वर्ष– 1974–75 से 76–77	17	शून्य	17	–
2.	244/78–79 वर्ष– 77–78	20	शून्य	20	–
3.	94/91–92 वर्ष–1986–87 से 90–91	41	10	31	पूर्व से
4.	92/97–98 वर्ष– 1991–92 से 96–97	54	10	44	पूर्व से
5.	69/2003–04 वर्ष– 1997–98 से 06–07	38	22	16	वर्तमान में निरस्त किया गया

प्रतिवेदन सं0–69/03–04, वर्ष– 97–98 से 06–07 तक अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 अंकेक्षण में आपतियों के निराकरण हेतु किए गए कारवाई से लेखा– परीक्षा को अवगत कराया गया शेष बचे लेखा– परीक्षा प्रतिवेदनों में निहित आपतियों का अनुपालन नहीं किए जाने से लेखा– परीक्षा का उद्देश्य निस्फल हो जाता है। नगर पंचायत के पदाधिकारियों से अनुरोध है कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में सन्निहित कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अविलम्ब कार्रवाई की जाएँ तथा अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर निस्पादन हेतु लेखा परीक्षा कार्यालय को भेजा जाय।

6. **अधिदृश्य**

नगर पंचायत, शेरघाटी, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अनुदान, ऋण एवं स्वयं के स्रोतों से वित्त सम्पोषित है, वर्ष 2003–04 से 06–07 तक का वार्षिक आय एवं व्यय लेखा नगर पंचायत के द्वारा तैयार नहीं किया गया। फिर भी नगर पंचायत शेरघाटी में एक मुख्य रोकड़ पंजी एवं दो अन्य रोकड़ पंजी राष्ट्रीय गंदी वस्ती योजना एवं स्वर्ण जयनती शहरी रो0यो0 का संधारण किया गया जिसमें कोषागार खाता एवं छः अन्य बैंक खाता के द्वारा संचालित किया जा रहा है।

नगर पंचायत शेरघाटी द्वारा संधारित रोकड़ पंजी के अनुसार आय–व्यय का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है।

क्र० सं०	विवरण	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1.	प्रारंभिक शेष	14,10,265.55	12,63,542.66	19,99,253.37	25,28,844.57
2.	प्राप्तियाँः-				
(i)	अनुदान	19,87,721.60	1935968.00	17,19,055.00	69,62,638.55
(ii)	सूद	74,296.50	21423.06	31,272.48	शून्य
(iii)	ऋण	62,369.00	शून्य	56,764.00	शून्य
(iv)	स्वास्थ्य कर	5,511.00	1,550.00	8,371.00	10,528.50
(v)	शिक्षा कर	4,455.00	1,240.00	6,696.00	8,422.60
(vi)	मुद्रांकन शुल्क	4,50,730.00	2,31,780.00	शून्य	4,33,510.00
(vii)	स्वयं से आय	13,20,900.00	13,94,128.05	11,94,362.90	15,46,521.00
(viii)	विविध	15,245.00	8,185.00	16,095.00	26,038.00
3.	जोड़	53,31,493.05	48,57,816.77	50,31,869.75	1,15,16,50322
4.	व्ययः-				
(i)	योजना पर व्यय	30,50,977.75	20,02,278.00	1,79,305.00	60,58,164.00
(ii)	स्थापना पर व्यय	10,02,559.64	8,40,962.15	10,09,177.18	1,20,4201.12
(iii)	विविध व्यय	14,413.00	15,323.25	14,543.00	15,906.00
5.	अंतिम शेष	12,63,542.66	19,99,253.37	25,28,844.57	42,38,232.10

1.	अंतिम शेष (31.03.07) रोकड़ पंजी के अनुसार			42,38,232.10
2.	पी०एल०खाता एवं बैंक खाता के अनुसार अंतिम शेषः-			
(i)	भा०स्टेट बैंक	01190007497	3,94,293.02	
(ii)	पं०ने०बैंक	4883	2,11,040.01	
(iii)	बैंक औफ बड़ौदा	20013004	3,81,398.00	
(iv)	,,	100507	3,37,618.20	
(v)	भा०स्टेट बैंक चालू खाता	10211	15,50,990.15	4155438.95
(vi)	पी०एल०खाता	योग	12,80,099.57	82,793.15

रोकड़ पंजी के शेष एवं पसबुक के शेष की अन्तर की राशि 82793.15 रु० का समाधान विवरणी बनाकर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

7. बजट

नगर पालिका अधिनियम- 1922 की धारा 71(i) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के कम से कम दो माह पूर्व कार्यपालक

पदाधिकारी द्वारा बजट तैयार कर नगर पंचायत की बैठक में रखा जायगा एवं धारा 73 के अधीन स्वीकृत बजट प्राक्कलन राज्य सरकार को भेजी जायगी।

वर्ष 2003-04 से 2006-07 के लिये तैयार किये गये बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आय-व्यय में कोई तालमेल नहीं था।

8. **आंतरिक लेखा परीक्षा**

बिहार एवं उड़ीसा म्यूनिसिपल एक्ट 1922 अथवा इसके नियमों में आंतरिक लेखा परीक्षा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन बिहार म्यूनिसिपल एकाउंटस रूल्स 1928 (नियम 20,64,73(क) इत्यादि) में यह उपबंधित है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी/ विशेष पदाधिकारी अथवा अन्य जिम्मेवार अधिकारी जिसे प्राधिकृत किया जाये द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण अभिलेखों की जाँच किया जाएगा। इस तरह की जाँच की व्यवस्था उचित नियंत्रण, अभिलेखों के संधारण तथा किसी भी संभावित वित्तीय अनियमितता से बचने हेतु की गई थी।

अभिलेखों की जांच के क्रम में यह पाया गया कि इस तरह की जांच की व्यवस्था नगर पंचायत शेरघाटी द्वारा नहीं की गई, जिसके कारण अभिलेखों के संधारण में अनियमितता पायी गयी जिनका उल्लेख प्रतिवेदन की आगे की कंडिकाओं में की गई है।

अतः नगर पंचायत प्रशासन से अनुरोध है कि नियम के उपबन्धों के अनुरूप जाँच की व्यवस्था की जाय ताकि किसी भी संभावित अनियमितता से बचा जा सके तथा अभिलेखों का संधारण हो सके।

9. **सरकारी अनुदान**

अनुदान पंजी के जाँच के क्रम में पाया गया कि अनुदान पंजी का संधारण उपयुक्त तरीके से नहीं किया गया था। पंजी में प्राप्ति पक्ष में अनुदान का संधारण था लेकिन वर्ष बार प्रारंभिक शेष, प्राप्ति, व्यय एवं अंतिम शेष की गणना नहीं की गयी थी वर्ष-2003-04 से 06-07 तक प्राप्त अनुदान की स्थिति निम्नबत है।

क्र0सं0	विवरण	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1.	प्रारंभिक शेष	4,42,243.00	6,04,264.50	7,80,752.56	10,72,081.04
2.	प्राप्ति	20,62,017.56	19,57,391.06	17,50,327.48	69,62,638.55
3.	जोड़	25,04,260.50	25,61,655.56	25,31,080.04	80,34,719.59
4.	व्यय	18,99,996.00	17,80,903.00	14,58,999.00	59,64,918.00
5.	अंतिम शेष	6,04,264.50	7,80,752.56	10,72,081.04	20,69,801.59

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-III पर)

अनुदान की राशि पी0एल0खाता एवं अन्य बैंक में रखा गया लेकिन व्यय प्रमाणक बार पंजी में दर्ज नहीं रहने के कारण सरकारी अनुदान जिस मद में व्यय करना था उस पर किया गया अथवा नहीं यह सुनिश्चित नहीं की जा सकी। अनुदान पंजी का वर्ष बार संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

10. सरकारी ऋण

सरकारी ऋण एवं ऋण विनियोग पंजी का संधारण नहीं किया गया जिससे 01.04.03 से अव्ययित ऋण, वर्ष-2003-04 से 06-07 तक का ऋण की राशि एवं व्यय तथा 31.03.07 को सरकार को भुगतेय ऋण एवं उस पर सूद की राशि ज्ञात नहीं किया जा सका। फिर भी वर्ष-2003-04 से 06-07 तक नगर पंचायत, शेरघाटी को कुल राशि-119133/-रू0 कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ता के लिए (बकाये सूद की राशि की कटौतीकर) नगर पंचायत, शेरघाटी को निर्गत किया गया जो वेतन एवं भत्ता पर व्यय हुआ (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट IV पर) ऋण एवं ऋण विनियोग पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण में प्रसतुत किया जाय।

11. अतिरिक्त मुद्रांकन शुल्क

नगर पंचायत शेरघाटी, वर्ष-2003-04 से 06-07 तक में कुल राशि-11,16,020.00रू0 प्राप्त हुआ जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0सं0	पत्र सं0/दिनांक	राशि	रोकड़ पंजी में दर्ज की तिथि
1.	390 dt. 24.02.03 A.G. Authority-851/10.07.03	1,00,930.00	03.07.03
2.	2134,2681/11.09.03 A.G. Authority-445/10.12.03	3,49,800.00	05.03.04
3.	1935/10.09.04 A.G. Authority-464/22.09.04	2,31,780.00	09.11.04
4.	1803/24.08.06 A.G. Authority- 305/14.09.05	4,33,510.00	20.01.07
		11,16,020.00	

63

अतिरिक्त मुद्रांकन शुल्क से प्रापत राशि का विहित पंजी में संधारण नहीं किया गया जिसके कारण प्रांरभ्भिक शेष, प्राप्ति, व्यय एवं अंतिम शेष का विवरण नहीं था। विहित प्रपत्र में संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

12. **11वें वित्त आयोग**

नागरिकों को मूलभुत सुविधाओं उपलब्ध कराने हेतु 11वँ वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगर पंचायत शेरघाटी को सरकार से अनुदान के रूप में राशि उपलब्ध कराई गई। इसके मुख्य घटक निम्न है।

(i) संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत राशि का पच्चास प्रतिशत अपने स्वयं क स्रोत से लेकर योजनाएँ तैयार की जायेगी एवं जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति अलग से प्रापत कर तीन माह के अंदर कार्या को पूर्ण किया जाएगा।

(ii) लेखाओं का संधारण निकायों द्वारा डबल इंट्री प्रणाली के द्वारा किया जाएगा।

(iii) प्राथमिकता के आधार पर नागरिक सुविधाओं से संबंधित यथा–पथ एवं नाला निर्माण के साथ इनका सुदृढीकरण विशुद्ध जलापुर्ति, सामुदायिक शौचालय एवं स्नानागार निर्माण, बस पड़ाव निर्माण, पथ–प्रकाश, सामुदायिक भवन, ठोस अवशिस्ट पदार्थो का निसपादन आदि से संबंधित योजनओं ली जाएगी। अंकेक्षण अवधि में नगर पंचायत शेरघाटी को कुल राशि– 29,44,024/–रू0 प्राप्त हुए विवरण इस प्रकार है।

क0 सं0	पत्रांक/ दिनांक	राशि	रोकड़ पंजी की तिथि
1.	959/30.03.03/न0वि0वि0	11,50,352.00	26.05.03
2.	1340/न0वि0वि0/30.03.04	17,93,672.00	29.05.04
3.	3876/न0वि0वि0/05.11.04		12.02.05
		29,44,024.00	

नगर पंचायत शेरघाटी, को अंकेक्षण अवधि में कुल– 29,44,024/–रू0 के विरूद्ध– 55,30,600/– का प्राक्कलन तैयार कर कुल 22 योजनाओं को चयनित किया गया। जिसमें 16 पूर्ण एवं 6 अपूर्ण थी (एक योजना में सिर्फ अग्रिम भुगतान है) और इन योजनाओं पर कुल– 4911595/– रू0 खर्च की गई। (विस्तृत विवरणी परिशिस्ट V पर)।

अंकेक्षण टिप्पणीः-

(i) अनुदान स्वीकृत करने वाले पत्र सं0- 959(i) 30.03.03 की कंडिका (8) में लेखाओं का संधारण डबल इंट्री प्रणाली द्वारा करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था लेकिन नगर पंचायत शेर घाटी द्वारा इंट्री प्रणाली द्वारा राशि की पंचायत खाते के साथ संबद्ध करके रखे गये थे।

(ii) अनुदान राशि मुख्यतः सड़क एवं नाला निर्माण के साथ उनके सुदृढीकरण पर खर्च की गई जबकि निर्देशानुसार सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक भवन बस पड़ाव निर्माण जैसे मदों पर भी व्यय करना था।

(iii) योजनाओं को प्रारंभ्य करने के तीन माह के अन्दर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया था जबकि वर्तमान में 5 योजनाएँ अपूर्ण है। योजनओं के अपूर्ण रहने का कारण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।

(iv) योजना सं0-05/03-04 में अभिकर्त्ता को अग्रिम के रूप में राशि-7500/- रू0 दी गई परन्तु चयनित योजना रद्द कर दिया गया लेकिन सम्पूर्ण अग्रिम अभिकर्त्ता के पास अंकेक्षण समय तक जमा रहा। सक्षम पदाधिकारी द्वारा वापसी हेतु कदम उठाये जाय।

(v) योजना सं0-13.03.04 में दिनांक- 22.10.05 के आदेश के आलोक में अभिकर्त्ता द्वारा 29651 रू0 की राशि अंकेक्षण समाप्ति तक पंचायत कोष में जमा नहीं कराया गया। (जमा कराने) सक्षम पदाधिकारी जमा कराने हेतु प्राभावी कदम उठाई जाय।

13. बारहवीं वित्त आयोग (XII F.C.)

नागरिकों को मूलभुत सुविधए उपलब्ध कराने हेतु 12वीं वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगर पंचायत, शेरघाटी को अनुदान के रूप में मुहैया कराई गई राशि का मुख्य घटक निम्नवत है।

(क) उक्त योजना के अर्न्तगत स्वीकृत राशि का 50% राशि ठोस अवशिष्टों का प्रबंधन पर व्यय की जायेगी। जिसके अंतर्गत उपशिष्टों का संग्रहन पृथकी करण और परिवहन इत्यादि विविध कार्य सम्मिलित रहेंगें। इसके अतिरिक्त शेष 50% की राशि में से निम्न कार्यो पर व्यय की जायेगी।

(i) नगर प्रबंधकों की क्षमता वृद्धि/ सृजन (1%)

(ii) ई-गर्वनेश (न्यूनतम 1% एवं अधिकतम -3%) इसके अर्न्तगत राशि का व्यय डबल इन्ट्री प्रणाली द्वारा लेखा संधारण। मान्यता प्राप्त चार्टर एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण/ उपयुर्क्त डाटा प्रणाली का विकास आदि कार्य सम्मिलित होगें।

(iii) शेष 46% की राशि नगर क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओ/ सेवाओं को बनाए रखने संबंधी योजनाओं/ कार्यक्रमों पर व्यय की जाएगी। इसके अंतर्गत पेय जलापुर्ति, पथ निर्माण नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइंटिंग इत्यादि विविध कार्य कराया जाय। जलापूर्ति के अंतर्गत मोटर पम्पों, पम्प से जुड़े जेनरेटरों। ट्रान्सफार्मरों, टुटे-फुटे पाईपों, चापाकल इत्यादि की मरम्मति जीर्णोद्धार एवं अन्य आवश्यक कार्य कराए जा सकती है। वर्ष- 2003-04 से 06-07 तक में नगर पंचायत शेरघाटी में कुल राशि- 20,19,560.00रू0 प्रापत हुआ। जिसका विवरण निम्न है।

क0सं0	पत्र सं0/दिनांक	राशि
1.	NVV/3195/28.09.05	8,73,049.00
2.	NVV/1096/30.03.06	11,46,511.00
3.	NVV/3115/11.08.06	
		20,19,560.00

जिसमें वर्ष-06-07 में कुल 4 चयनित योजनाओं में से अंकेक्षण समाप्ति तक सभी योजनाएँ अपूर्ण थी। जिस पर कुल 6,51,784/-रू0 व्यय किया गया। (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट VI पर)

<u>अंकेक्षण टिप्पणीः-</u>

(i) सरकार के आदेशानुसार लेखाओं का संधारण डबल इन्ट्री प्रणाली द्वारा नहीं किया गया।

(ii) अनुदान राशियों का मुख्यतः प्रयोग सड़क एवं नाली निर्माण के साथ इनके सुदृढीकरण पर खर्च की गई जबकि अन्य योजना पर व्यय नहीं किया गया।

(iii) निधि पर्याप्त रहने के बाद भी योजनाओं को पूर्ण नहीं किया गया।

14. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

नगर पंचायत शेरघाटी को वर्ष- 2003-04 एवं 06-07 तक योजनाओं के कियान्वयन हेतु कुल राशि- 4,06,271.00 रू0 प्राप्त हुए। जिसका विवरण निम्न है।

1.	NVV/72/23.02.04	61,000.00
2.	D.M Gaya /4551/15.03.05	1,28,271.00
3.	NVV/323/23.05.05	2,17,000.00
		4,06,271.00

वर्ष 2003-04 एवं 04-05 में किसी योजना का चयन नहीं किया गया एवं 05-06 से 06-07 तक में क्रमशः 6 एवं 1 योजनाओं का चयन किया गया तथा सभी योजनाओं को पूर्ण करा लिया गया जिस पर कुल व्यय- 4,21,393.रू0 हुआ। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट-VII पर)।

अंकेक्षण टिप्पणीः-

(i) निर्माण संबंधी कार्य सामुदायिक विकास समिति के माध्यम से न कराकर नगर पंचायत के कर्मचारियों को ही अभिकर्त्ता बनाकर कार्य कराया गया जो भारत सरकार के दिशा निर्देश के विरूद्ध है।

(ii) इस कार्य कम के अर्न्तगत योजनाओं का चयन का अधिकार सामुदायिक विकास संगठनों द्वारा करना था जो नहीं किया गया।

(iii) नगर पंचायत द्वारा चयनित योजना सड़क एवं नाला निर्माण ही था।

(iv) प्राप्ति से अधिक व्यय की राशि का अंकेक्षण में कारण स्पस्ट नहीं किया गया।

15. राष्ट्रीय गंदी बस्ती कार्यक्रम योजना

राष्ट्रीय गंदी बस्ती केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के निधियों का आबंटन स्थानीय निकायों को स्लम जनसंख्या के आधार पर दी जाती है। इसके मुख्य घटक है।

(i) योजनाओं का कियान्वयन शहरी क्षेत्रो के नेवरहुड कमिटि एवं कम्यूनिटी डेवलपमेंट सोसायटी के द्वारा किया जाएगा जहॉं इन समितियों का गठन नहीं हुआ है वहॉं इसका शीघ्र गठन किया जायेगा।

57

(ii) कल आबंटन का कम से कम 10% राशि स्लम क्षेत्रों में नये आवास निर्माण पर खर्च किया जाएगा। आवास लागत प्रति इकाई- 33800/- रू0 एवं उसके भौतिक सुविधा संबर्द्धन हेतु अतिरिक्त 2500/-रू0 यानी 36300/-रू0 प्रत्यके आवास की लागत होगी। 2500/-रू0 का भुगतान लाभुक द्वारा नकद या श्रम के रूप में किया जाएगा।

(iii) शेष राशि (90%) का व्यय स्लम क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएँ यथा स्नानागार, कम्यूनिटी सेंटर, गली एवं नाली की सफाई, स्वास्थ्य केयर सेंटर आदि पर व्यय किया जाएगा।

(iv) जिलास्तर पर जिला शहरी विकास अभिकरण की प्रगति की समीक्षा प्रत्यके माह भेजी जाएगी।

नगर पंचायत, शेरघाटी, वर्ष- 03-04 से 06-07 तक में अनुदान इस प्रकार प्राप्त हुआ।

1.	प्रारंभिक शेष	4,42,243.00
2.	न0वि0वि0-301/11.09.03	7,14,000.00
3.	न0वि0वि0-254/10.05.05	5,28,000.00
		16,84,243.00
	जोड़-सूद	+ 1,21,871.00
		18,06,114.00

वर्ष- 2003-04 से 06-07 तक में कुल राशि-18,06,114.00रू0 में से क्रमशः- 03-04 में कुल- 4 योजनाओं को चयनित किया गया जिसमें 2 पूर्ण एवं 2 अपूर्ण योजनाओं पर 6,40,973.00रू0 व्यय किया गया एवं 05-06 में 9 योजनाओं का चयनित किया गया जिसमें 6 योजनाओं पूर्ण एवं 3 योजनाओं अपूर्ण था जिसपर कुल- 5,38,781.00रू0 व्यय किया गया।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट-VIII पर)।

अंकेक्षण टिप्पणीः-

(i) कुल आबंटन का 10% राशि स्लम क्षेत्रों में आवास निर्माण पर खर्च करने का निर्देश दिया गया था लेकिन नगर पंचायत, शेरघाटी द्वारा आवास निर्माण संबंधी कोई भी योजना नहीं ली गई। सरकारी दिशा-निर्देशों का स्पस्ट उल्लंघन किया गया।

(ii) अंकेक्षण की समाप्ति तक वर्ष- 2003-04 एवं 05-06 में अपूर्ण-05 योजनाओं पर क्रमशः- 285000(03-04) एवं 133842(05-06) पर व्यय किया गया लेकिन योजनाओं को पूर्ण नहीं किया गया।

(iii) अनुदान राशि का 90% राशि का व्यय मूलभुत नागरिक सुविधाओं के अलावा सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार खर्च नहीं करके पथ एवं नाला निर्माण कार्य कराया गया।

(iv) इस मद में पर्याप्त राशि रहने पर भी लंबित योजनाओं को पूर्ण नहीं कराया गया।

16. **<u>सड़को के निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु प्राप्त आबंटन एवं निधि से योजनाओं पर व्यय।</u>**

नगर पंचायत, शेरघाटी, को वर्ष- 06-07 में सड़को के निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु कुल राशि- 51,98,000/-रू0 प्राप्त हुए। जिसका विवरण निम्नलिखित है।

1.	न0वि0वि0-/1102/30.03.06	34,88,000.00
2.	न0वि0वि0-/1131/31.03.06	17,10,000.00
		51,98,000.00

कुल राशि 51,98,000/- प्राप्त राशि से वर्ष-06-07 में कुल 10 योजनाओं का चयन किया गया जिसमें से 3 योजनाएँ पूर्ण एवं 7 योजनाएँ अपूर्ण थी जिसपर कुल- 4494580.00रू0 व्यय किया गया था।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट- IX पर)।

<u>अंकेक्षण टिप्पणीः-</u>

(i) आबंटन की राशि पर्याप्त रहने पर भी योजनाओं को समय पर पूर्ण नहीं कराया।

(ii) योजनाओं के क्रियान्वयन का त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(iii) नगर पंचायत द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना था कि स्वीकृत योजनाएँ किसी अन्य योजना के अर्न्तगत न तो स्वीकृत है और न ही प्रस्तावित।जिसका प्रतिवेदन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

57

16(ii) नगर पंचायत कोष से योजनाओं का कार्यान्बयन

वर्ष- 2003-04 से 06-07 में नगर पंचायत कोष से PCC एवं नाला निर्माण कार्य कराये गयी है जिसका विवरण निम्न है।

क्र0 सं0	वर्ष	प्रा0रा0	योजना पर व्यय	कुल चयनित योजना	कार्य की स्थिति	
					पूर्ण	अपूर्ण
1.	2003-04	60000.00	51882.00	5	3	2
2.	04-05	1,11,450.00	103986.00	5	5	0
3.	05-06	6,71,427.00	6,10,973.00	13	11	2
4.	06-07	12,91,820.00	9,72,057.00	15	7	8
		21,34,697.00	17,38,878.00	38	26	12

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-X पर)।

अंकेक्षण टिप्पणीः-

(i) वर्ष-2003-04 से 06-07 तक में प्रा0 राशि-21,34,697.00रू0 के विरूद्ध-17,38,898रू0 व्यय कर कुल 38 योजनाओं में 26 पूर्ण एवं 12 अपूर्ण योजनाओं का कार्यावंचन किया गया।

(ii) लंबित योजनओं को ससयम पूर्ण नहीं कराया गया।

(iii) अभिकर्त्ता को मापी पुस्तिका से अधिक राशि भुगतान किया गया।

17. पी0एल0खाता रोकड़ बही

रोकड़ बही का संधारण उचित ढंग से नहीं किया गया इसके संधारण में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयी।

(1) वर्ष 2003-04 से 06-07 तक किसी भी वर्ष, हेतु प्रारंभिक शेष, प्राप्ति, व्यय एवं अंतिम शेष दर्शाया नहीं गया

(2) आय एवं व्यय शीर्ष बार वर्गीकरण नहीं किया गया

(3) भुगतानों की कई प्रविष्टियाॅ के विरूद्ध उल्लेख नहीं किया गया।

(4) एक ही रोकड़ पंजी में अनेक खाता का आय एवं व्यय की प्रविष्टियाँ किया गया।

(5) रोकड़ बही के आय एवं व्यय को मासिक त्रैमासिक एवं वार्षिक जोड़ नहीं किया गया।

(6) रोकड़ पंजी की संधारण में अपलेखन एवं उपरिलेखन किया गया था।

18. कोषागार पास बुक अनुपालब्ध

वर्ष–2003–04 से 06–07 तक का कोषागार पासबुक अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण अंकेक्षण अवधि से संबंधित आय एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

अतः कोषागार पास बुक का संधारण कर एवं कोषागार पदाधिकारी से हस्ताक्षरित कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

18(ii) लेखा पाल रोकड़ पंजी में दर्ज नहीं

कोषागार चेक बुक को लेखापाल रोकड़ पंजी से मिलान करने में पाया गया कि निम्नलिखित चेक से भुगतान की राशि लेखापाल रोकड़ पंजी में दर्ज नहीं पाया गया।

क0 सं0	चेक सं0/दिनांक	राशि	विवरण
1.	467648/10.09.03	1,27,738.00	कार्य0पदा0शेरघाटी A/c.10211
2.	467649/10.09.03	2,90,247.00	,,
3.	467650/11.03.04	3,50,000.00	,,
4.	084201/12.03.04	1,00,000.00	,,
		867985.00	

चेक द्वारा, भुगतान की राशि की प्रविष्टिया को अगले अंकेक्षण में दिखलाय जाय।

19. नगर पंचायत निधि का वासकरण

म्यूनिसिपल एक्ट–1922 के धारा–66 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देशित नहीं करे, नगर पंचायत निधि में प्राप्त सभी राशियों राज्य सरकार के कोषागार में जमा किया जाय एवं बैंक शेष को कोषागार खाता में स्थानान्तरित किया जाय। परन्तु उपर्युक्त प्रावधान के विपरीत कतिपय बैंको यथा भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा, शेरघाटी में खाता संचालित किया जा रहा था।

20. मांग एवं वसूली पंजी

कर की वसूली हेतु मॉंग एवं वसूली पंजी रहना अतिआवश्यक है लेकिन नगर पंचायत शेरघाटी में मॉंग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया।

जिसके कारण कम वसूली, कर लागु न होना, बकाया कर आदि ज्ञात नहीं किया जा सका। मकान कर, दुकान कर इत्यादि की मॉँग एवं वसूली पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

20(ii). कर निर्धारण एवं वसूली

बिहार एवं उड़ीसा म्यूनिसिपल एक्ट- 1922 के धारा 388(i) एवं 389 के तहत सरकारी आदेश सं0-1542/02.03-1968 द्वारा अधिसूचित क्षेत्र समिति, शेरघाटी का स्थापना किया गया था।

बिहार एवं उड़ीसा म्यूनिसिपल एक्ट-1922 के धारा 106(2) के अनुसार अल्टरेशन (alteration) एवं संशोधन तथा धारा-107 में कर संबंधित परिणाम तथा धारा-116 में मकान कर का निर्धारण किया जाना है।

लेकिन नगर पंचायत शेरघाटी, में स्थापना लगभग 40 वर्षो के बाद भी नया कर निर्धारण नहीं किया गया जबकि धारा-89 एवं 106 के अनुसार मकानकर का पुनर्रीक्षण प्रत्येक पाँच वर्षो पर किया जाना है।

यथाशीघ्र कर निर्धारण कर कर की वसूली की जाय तथा फलाफल से स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार को अवगत कराया जाय।

21. बकाया दुकान किराया

दुकान किराया से संबंधित मॉँग एवं वसूली पंजी का संधारण पूर्व से नहीं किया गया। अतः मॉँग एवं वसूली से संबंधित वास्तविक स्थिति का आकलन अंकेक्षण में नहीं किया जा सका। फिर भी कर-दरोगा द्वारा 202 दुकानों का बकाया विवरणी के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि अंकेक्षण समाप्ति तक दुकानों पर बाकी किराया रू0-21,62,690.00 था

(विस्तृत विवरण परिशिष्टः-XI पर)।

सक्षम पदाधिकारी से अनुरोध है कि नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति सुदृढी हेतु किराया की राशि 21,62,690.00रू0 वसूली कराकर नगर पंचायत कोष में जमा कराया जाय।

22. खादय अनुज्ञप्ति शुल्क बकाया राशि

खाध अनुज्ञप्ति शुल्क की मांग एवं वसूली से सम्बधित विवरणी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे मांग एवं वसूली सुनिश्चित नहीं किया जा सका। तथापि खाध अनुज्ञप्ति शुल्क पंजी के अनुसार 31.03.07 को कुल

437464 विभिन्न अनुज्ञप्ति धारी के पास बकाया था। उक्त राशि की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-XII पर)

23. **खतरनाक एवं भयावह व्यापार की बकाया**

बिहार एवं उड़ीसा म्यूनिसिपल के अधिनियम 1922 की धारा-159(3) में खतरनाक एवं भयावह व्यापार की वसूली का प्रावधान है। खतरनाक एवं भयावह व्यापार की पंजी का संधारण नहीं किया गया है फिर भी, मांग वसूली एवं शेष अंकेक्षण में बनाया गया है जो इस प्रकार है।

	03-04	04-05	05-06	06-07
पिछला बकाया	2,01,617	2,35,232	2,84,812	3,32,482
वर्तमान	45,586	51,580	51,580	61,580
कुल योग	2,47,203	2,86,812	3,36,392	3,94,062
कुल वसूली	11,971	2000	3,910	8,400
अंत शेष	2,35,232	2,84,812	3,32,482	8,400

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-XIII पर)

बकाया राशि- 382662.00रू0 वसूलने हेतु प्रभावी कारवाई की जाय।

23(ii) **भयावह एवं खतरनाक व्यापार शुल्क की कम वसूली**

नगर विकास विभाग बिहार सरकार के पत्र सं0-3193/11.09.01 द्वारा सभी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि वर्तमान समय में मूल्य वृद्धि एवं नगर परिषदों को स्थापना व्यय को ध्यान में रखते हुए खतरनाक एवं भयावह व्यापार से संबंधित अनुज्ञप्ति शुल्क एवं नवीकरण शुल्क को संशोधित दरों पर वसूली नहीं किया गया।

नगर पंचायत शेरघाटी द्वारा उपलब्ध करायी गयी दर से ज्ञात हुआ कि सरकार के निर्देशो की अवहेलना किया गया है तथा निर्धारित दरों से कम पर वसूली के कारण वर्ष-1997-98 से 06-07 तक में कुल राशि-382550/-रू0 कम वसूली किया गया। उक्त राशि-382550/- की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठायी जाय।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट- XIV पर)

24. ट्रान्समिशन टावर शुल्क/केबुल बकाया

नगर पंचायत के अन्तर्गत ट्रान्समिशन टावर की स्थापना किया गया एवं जमीन क अन्दर भारत संचार निगम लिमिटेड का केबुल विछाया गया है। इस कार्य के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। मांग एवं वसूली की विवरणी निम्नवत है।

क0सं0	टावर का नाम	स्थान	स्थापना दर	मांग	वसूली	बकाया
1.	एयर टेल	वार्ड-04 सोमाली	70मी0@ 2000/मी0	140000	140000	-
2.	टाटा इंडीकौम	वार्ड-05 सोमाली	40मी0	80000	80000	-
3.	रिलांयस	वार्ड-05 सोमाली	50मी0 अनुमति शुल्क	100000 500		100000 500
4.	बी0एस0एन0 एल0	शेरघाटी से जी0टी0 रोड तक 1.65 मी0 गहरा केबुल बिछाने का शुल्क-4356 फीट		171041	-	171041
						271541.00

कुल राशि- 271541.00रू0 टावर शुल्क वसूलने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाय।

25. सैरातो की वन्दोवस्ती

सैरातो की बन्दोवस्ती से संबंधित संचिकाओं के जाँच से ज्ञात हुआ की विभिन्न सैरातो की बन्दोवस्ती की राशि पूर्ण रुप से जमा नहीं की गई। लेखा परीक्षा अवधि में सैरातो की बन्दोवस्ती में कुल- 56500.00रू0 जमा नहीं की गई जिसका विवरण निम्नलिखित है।

क0 सं0	सैरात का नाम	वर्ष	बन्दोवस्ती की राशि	जमा	बकाया	बन्दोवस्त कार का नाम
1.	पार्किग कर	03-04	189000	144500	44500	परवेज आलम
2.	साईकिल कर	03-04	24000	12000	12000	असमत अली
					56500.00	

बन्दोवस्ती की शर्तो के अनुसार, बन्दोवस्ती की राशि एकमुश्त जमा करने के पश्चात ही वसूली हेतु आदेश जारी किया जाना था। एकमुश्त जमा नहीं कराये जाने की दशा में जमानत की राशि जप्त कर द्वितीय उच्चतम डाकवक्ता के साथ बन्दोवस्ती की जानी चाहिए थी, परन्तु संचिका के जाँच से

-52-

ज्ञात हुआ कि बन्दोवस्तकार को बिना एकमुश्त बन्दोवस्ती की राशि जमा कराए, वसूली हेतु आदेश निर्गत कर दिया गया।

बन्दोबस्तकार को बकाया राशि जमा करने हेतु कोइ स्मार भी नहीं दिया गया।

इस प्रकार समय से उचित कार्यवाही की गई होती तो नगर पंचायत, शेरघाटी को कुल-56500/-रू0 की हानि से बचाया जा सकता था। अतः स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना को प्रतिवेदित किया जाता है कि क्यों नहीं उक्त राजस्व की हानि को जिम्मेवार व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से वसूली हेतु स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम-1925 की धारा 9(1)(ख) के अर्न्तगत अधिभार द्वारा वसूल करने पर विचार किया जाय।

(1) श्री शैलेन्द्र कुमार (वि0प्र0से), कार्यापालक पदाधिकारी 01.04.03 से 02.04.04.

(2) श्री रामेश चन्द्र चौधरी (वि0प्र0से) कार्यापालक पदाधिकारी 03.04.04 से लगातार.

(3) श्री मदन सिंह, प्र0स0 सह लेखापाल 01.04.03 से 31.03.07.

26. ~~कम~~ / नहीं जमा

विविध रसीद एवं दैनिक वसूली पंजी की जांच के क्रम में ज्ञात हुआ कि कर संग्राहकों द्वारा रोकड़पाल के पास कुल 2,06,311.75रू0 कम/नहीं जमा कराए गए जिसकी विवरणी निम्नलिखित है।

क0 सं0	रसीद सं0/दिनांक	वसूली गई राशि	जमा की गई राशि	नहीं जमा की गई राशि	वसूली कर्त्ता का नाम	अभियुक्ति
1.	48523 से 48563 एवं 48408 से 48421 25.04.07से03.05.07	88301.00	शून्य	88301.00	श्री देवेन्द्र पाण्डे	
2.	-	28990.75	शून्य	28990.75	श्री देवेन्द्र पाण्डे	प्रतिवेदन सं0-69/03-04 के कंडिका 15(A) के अनुसार बाकी राशि
3.	-	200.00	शून्य	200.00	श्री रामस्वरूप	तथैव

-51-

					दास	
4.	409 से 500	1380.00	शून्य	1380.00	श्री देवेन्द्र पाण्डे	पार्किंग कर
5.	501 से 700	2115.00	शून्य	2115.00	श्री निरंजन सिंह	तथैव
6.	38445से38500 03.04.03से06.07.04	85325.00	शून्य	85325.00	श्री देवेन्द्र पाण्डे	-
				2,06,311.75		

कुल राशि 2,06,311.75रू0 संबंधित वसूल कर्त्ता से वसूल कर नगर पंचायत कोष में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

27. <u>विविध रसीद अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जाना।</u>

भण्डार पंजी (भाग-2) के जांच के कम में पाया गया कि विविध रसीद सं:-29601 से 29700 तक, दिनांक- 15.03.97 को श्री सुरेन्द्र सिंह, को बस स्टैण्ड की वसूली हेतु दिया गया था श्री सिंह द्वारा कमांक-01 से 08 तक का वसूलीकर शेष रसीद कार्यालय में जमा कर दिया था तथा उसके बाद श्री देवेन्द्र पाण्डे एवं प्रधान सहायक, कार्यालय के माध्यम से उक्त रसीद प्राप्त कर लिया गया जिसका भण्डार पंजी में सूचना दर्ज नहीं है। उसके बाद दोनों कर्मचारियों द्वारा उस रसीद से दुकान किराया वसूल किया गया। तथा अंकेक्षण में देखा गया कि दुकान किराया मांग एवं वसूली पंजी में उक्त रसीद संख्या एवं दुकान से वसूली गई राशि दर्ज है।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-XV पर)

उक्त रसीद अंकेक्षण समाप्ति तक अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया तथा मांग एवं वसूली पंजी में दर्ज राशि भी नगर पंचायत निधि में जमा नहीं दिखाया गया।

उपर्युक्त रसीद बही से वसूली की गई कुल राशि 3,29,848.00रू0 की नगर परिषद कोष में जमा सुनिश्चित किया जाय तथा रसीद बही अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

28. <u>शिक्षा कर एवं स्वास्थ्य कर को सरकारी खाते में जमा नहीं किया जाना।</u>

नगर पंचायत द्वारा मकान कर की 50% कमशः शिक्षाकर एवं स्वास्थ्य कर के मद में वसूल की गई थी। परन्तु उक्त करों का 10% वसूली प्रभार

काटकर सरकारी खाते में कभी जमा नहीं किया गया था। नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणी के अनुसार निम्नलिखित राशियाँ वर्ष- 2003-04 से 06-07 तक वसूली गई विवरणी इस प्रकार है।

क्र0सं0	वर्ष	शिक्षाकर	स्वास्थ्यकर	कुल
1.	2003-04	5511.00	4455.00	9966.00
2.	2004-05	1550.00	1240.00	2790.00
3.	2005-06	8371.00	6696.00	15067.00
4.	2006-07	10528.00	8422.60	18950.60
5.	1997-98 & 2002-03	21109.00	18577.00	39686.00 vide Para 19 of AR.No-69/03-04
			कुल वसूली	86459.60
			घटाव 10% वसूली प्रभार	8645.90
			कुल योग	77813.70

उपर वर्णित शेष राशिः- 77813.70 रू0 संबंधित सरकार के कोष में जमा करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाय।

29.(i) अधिक भुगतान

योजना मद		11वें वित्त आयोग	
योजना सं0		09/ 03-04	
योजना का नामः-		हरि चौ0 के घर से गड्ढा तक नाली निर्माण।	
प्रा0 राशि		33000/-	
मापी पुस्तिका के अनुसार कार्य का मूल्य		25,305/-	
अभिकर्त्ता का नाम		श्री नरेश प्रसाद	
	अभिकर्त्ता को भुगतान		
1.	777900/ 28.03.07	7500.00	
2.	573615/ 15.09.03	20,000.00	
		27,500.00	
	जोड़ रोयाल्टी	490	
	बैट	1085	1575.00
			29,075.00
अभिकर्त्ता को अधिक भुगतान (29075-25305)			3770.00

कार्यालय ज्ञांपाक सं0- 431 दिनांक- 11.09.06 के आदेशानुसार अभिकर्त्ता द्वारा तीन दिनों के अन्दर समिति खाता में जमा करना था लेकिन अंकेक्षण समाप्ति (28.09.07) तक जमा नहीं कराया गया। उक्त 3770रू0 अधिक

भुगतान की राशि यथा शीघ्र अभिकर्त्ता से वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा कराया जाय।

(2) अधिक भुगतान

योजना मद	11 वें वित्त आयोग
योजना सं0	05/03-04
योजना का नामः-	गया चेरकी रोड से सुनील सिंह के घर तक PCC पथ निर्माण एवं नाली निर्माण।
प्रा0 राशि	98,500/-
मापी पुस्तिका के अनुसार कार्य का मूल्य	शून्य
अभिकर्त्ता का नाम	श्री शिवशरण प्रसाद
अभिकर्त्ता को भुगतान	7500/-(777890/03.07.03)

अंकेक्षण टिप्पणीः-

(i) अभिकर्त्ता को कार्य प्रारंम्भ करने हेतु कुल राशि 7500/-रू0 प्रथम अग्रिम भुगतान किया गया लेकिन अंकेक्षण समाप्ति (28.09.07) तक कार्य प्रारंम्भ नहीं किया गया।

(ii) कुल राशि- 7500/-रू0 अभिकर्त्ता से वसूल कर नगर पंचायत कोष में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(3) अधिक भुगतान

योजना मद	11 वें वित्त आयोग
योजना सं0	13/03-04
योजना का नामः-	कपिल ड्राइवर के मकान से मकबुल साह के मकान तक नाली निर्माण।
अभिकर्त्ता का नाम	श्री देवेन्द्र पाण्डे।
प्रा0 राशि	189,500/-
मापी पुस्तिका के अनुसार कार्य का मूल्य	134072/-
कार्य की स्थितिः-	पूर्ण(कार्याल आदेश सं0-517/22.10.05 के अनुसार)
अभिकर्त्ता को भुगतानः-	1,63,723.00
अभिकर्त्ता को अधिक भुगतान	(163723-134072) 29651/-रू0

अभिकर्त्ता से 29651रू0 वसूल कर नगर परिषद निधि में जमा कराया जाय।

(4) अधिक भुगतान

योजना मद	नाला एवं सड़क जीर्णोद्धार हेतु अनुदान
योजना सं0	05/06-07
योजना का नामः-	श्री शिव पंडित के घर से होते हुए सुरेन्द्र बाबु

49

	वकील क घर तक PCCपथ एवं नाला निर्माण।
प्रा0 राशि	5,88,000/-
मापी पुस्तिका के अनुसार कार्य का मूल्य	5,32,266/-
कार्य की स्थितिः-	पूर्ण
अभिकर्त्ता का नाम	श्री शिवशरण प्रसाद
अभिकर्त्ता को भुगतानः-	5,79,204.00
अभिकर्त्ता को अधिक भुगतान	(579204-532266) 46,938/-रू0

अंकेक्षण टिप्पणीः-

(i) श्री शिवशरण प्रसाद, अभिकर्त्ता को मापी पुस्तिका के अनुसार कुल राशि- 46,938/-रू0 अधिक भुगतान कर दिया गया है उक्त राशि- 46938/-रू0 अभिकर्त्ता से वसूल कर नगर पंचायत कोष में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(ii) अभिकर्त्ता द्वारा कार्य पूर्ण करानें हेतु विभिन्न सामाग्रियों का उपयोग किया गया है जिससे वैट की राशि की कटौती नहीं किया गया जिसका विवरण निम्न है।

क0सं0	समाग्रियों का नाम	मूल्य	दर	राशि
1.	ईट	4980X	4%	1992
2.	बालू	10980 X	4%	439
3.	गिट्टी	39650 X	12.5%	4956
				7387

कुल राशि- 7387/- रू0 वैट की राशि अभिकर्त्ता से वसूल कर संबंधित शीर्ष में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(5) अधिक भुगतान

11 वें वित्त आयोग	
योजना सं0	10/03-04
योजना का नामः-	महावीर स्थान चौक(गांजा मोड़)से रमना मुहल्ला होते हुए शेखपुरा गोवर टोली तक PCC कार्य।
प्रा0 राशि	6,08,000/-

48

मापी पुस्तिका का मूल्या	6,07,912/-
अभिकर्त्ता का नाम	श्री शिवशरण प्रसाद
अभिकर्त्ता को भुगतान	5,87,466.00रू0
जोड़ रोयाल्टीः-	20,424.00
योजना पर कुल व्ययः-	6,07,890.00

अंकेक्षण टिप्पणीः-

(i) मापी पुस्तिका के अनुसार PCC कार्य पूर्ण कराने में कुल- 1909 बोरा सीमेंट खपत होना था लेकिन अभिकर्त्ता द्वारा कुल- 1619 बोरा खपत किया गया, यानी (7 बोरा x 145/बोरा)= 1015 रू0 अभिकर्त्ता से वसूल कर नगर पंचायत कोष में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(ii) अभिकर्त्ता द्वारा कार्य पूर्ण कराने हेतु विभिन्न सामाग्रियों का उपयोग किया गया जिससे बिक्री कर की कटौती नहीं किया गया विवरण निम्न प्रकार है।

क0सं0	समाग्रियों का नाम	मूल्य दर	राशि
1.	सीमेंट	277675x11%	30544.00
2.	ईट	37862x8%	3029.00
3.	बालू	138204 x8%	11056.00
4.	गिट्टी	102676 x9.5%	9242.00
			53871/-

अभिकर्त्ता से उपर्युक्त 53871/ रू0 की वसूल कर संबंधित शीर्ष में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(6) अधिक भुगतान

11 वें वित्त आयोग	
योजना सं0	14/03-04
योजना का नामः-	उज्जवल विद्यालय से शाहजहाँ के घर होते हुए नरेश के घर तक PCC पथ निर्माण।
प्रा0 राशि	2,42,400.00
मापी पुस्तिका के अनुसार मूल्य	2,27,076.00
अभिकर्त्ता का नाम	श्री देवेन्द्र पाण्डे
अभिकर्त्ता को भुगतान	2,14,881.00
जोड़ रोयाल्टीः-	12195.00
योजना पर व्ययः-	2,27,076.00

47

अंकेक्षण टिप्पणीः-

(i) अभिकर्त्ता द्वारा कार्य पूर्ण कराने हेतु विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया गया है जिससे बिक्रीकर की कटौती नहीं किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क0सं0	समाग्रियों का नाम	मूल्य दर	राशि
1.	सीमेंट	75110X11%	8262.00
2.	बालू	29400X8%	2352.00
3.	ईट	36241 X8%	2900.00
4.	गिट्टी	35980 X9.%	3238.00
			16752.00

कुल राशि- 16,752.00रू0 अभिकर्त्ता से वसूल कर संबंधित शीर्ष में जमाकर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(7) अधिक भुगतान

11 वें वित्त आयोग	
योजना सं0	12/03-04
योजना का नामः-	मु0 मोलवी गंज वसंत जी के मकान से चन्दा कब्रिस्तान तक PCC सड़क निर्माण।
प्रा0 राशि	4,88,600/-
मापी पुस्तिका के अनुसार मूल्य	4,88,198/-
अभिकर्त्ता का नाम	श्री शिवशरण प्रसाद
अभिकर्त्ता को भुगतान	4,69,869.00
जोड़ रोयाल्टीः-	18,329.00
योजना पर कुल व्ययः-	4,88,198.00

अंकेक्षण टिप्पणीः-

(i) मापी पुस्तिका के अनुसार कार्य पूर्ण कराने हेतु कुल-1210 बोरा सीमेंट खपत होना था लेकिन अभिकर्त्ता द्वारा कुल-1215 बोरा खपत किया गया, यानी (1215-1210)= 5X145रू0 बोरा=725.00रू0 अभिकर्त्ता से वसूल कर नगर पंचायत कोष में जमाकर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

46

30. दैनिक वेतन भुगतान

अभिश्रवों की जांच के क्रम में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा वर्ष–2003–04 से 06–07 तक में कुल राशि 9,56,310.00रू0 दैनिक मजदुरों के वेतन भुगतान पर खर्च किया गया।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–XVI पर)

नगर विकास विभाग (बिहार सरकार) के पत्र संख्या 4न0अ0/–1/99/1886/न0वि0वि0 दिनांक–25.06.01 एवं 1296/25.04.06 द्वारा सभी निकायों को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि किसी व्यक्ति को दैनिक मजदुरी पर नहीं नियुक्त किया जाय। उक्त निर्देशों की अवहेलना करते हुए नगर पंचायत शेरघाटी द्वारा दैनिक भुगतान पर मजदुरो को रखा गया जो अनियमित था। सरकार द्वारा स्वीकृति मिलने तक इस मद में व्यय की गई कुल राशि रू0 9,56,310.00 को अंकेक्षण आपति के अर्न्तगत रखा जाता है।

31. अग्रिम

वर्ष– 2003–04 से 06–07 तक की अवधि हेतु अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया गया। इस प्रकार लेखा परीक्षा अवधि में दिये गये अग्रिमों के समायोजन की वास्तविकता की जाँच नहीं की जा सकी। बार–बार मौखिक अनुरोध के बाबजूद उक्त अग्रिमों के समायोजन से संबद्ध अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। फिर भी, योजनाओं एवं रोकड़ बही की संवीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्ष–2003–04 से 06–07 तक कुल–53,56,435.00रू0 अग्रिम के रूप में नगर पंचायत के कर्मचारियों एवं अन्य को दिये गय थे, जिसका समायोजन–31.03.07 तक नहीं किया गया (विस्तृत विवरण परिशिष्ट–XVII पर)।

उक्त अग्रिम की राशिरू053,56,435.00के वसूली/समायोजन कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

32. कार्यपालक के साथ वार्तालाप

अंकेक्षण में उठाए गए विन्दुओं पर दिनांक–28.09.07 को कार्यापालक पदाधिकारी से वार्तालाप की गयी।

45

33. लेखा परीक्षा परिणाम

लेखा परीक्षा के परिणाम के अनुसार।

(क)	वसूली हेतु सुझाव दी गई राशि	36,19,109.75
(ख)	अधिभार के माध्यम से वसूली गई राशि	56,500.00
(ग)	अंकेक्षण के दौरान जमा की गई राशि	शून्य
(घ)	अंकेक्षण आपति के अधीन रखी गई राशि	9,56,310.00

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–XVIII पर)।

34. सामान्य अभ्युक्ति

लेखा अभिलेखों के संधारण में प्रचुर सुधार अपेक्षित है। प्रमुख अभिलेख जैसे वार्षिक लेखा, बजट, अनुदान पंजी, ऋण एवं ऋण विनियोग पंजी, मकान कर की मांग पंजी इत्यादि संधारित नहीं थे। वसूली गयी राशियों के नहीं जमा के अनेक मामले दृष्टिगोचर हुए। नगर पंचायत की मकान कर एवं वसूली काफी दयनीय स्थिति में पायी गयी वसूली का प्रतिशत काफी असंतोष जनक रहा।

ह०/–
सुमेश्वर पासवान
अनुभाग अधिकारी

– 44 –

पत्रांकः– एल०ए०सरचार्ज/ 413 दिनांकः– 16.01.08

कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, शेरघाटी का प्रतिवेदन अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि प्रतिवेदन प्राप्ति के तीन महीनों क अन्दर सभी आपत्तियों का निराकरण प्रतिवेदन तैयार करबाकर उचित माध्यम से स्थानीय लेखा–परीक्षक, बिहार, पटना को समर्पित किया जाय।

ह०/–
लेखा परीक्षा अधिकारी/अधिभार

ज्ञापांकः– 414 दिनांकः– 16.01.08

सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु अग्रसारितः–

(1) सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना
(2) जिला पदाधिकारी, गया
(3) अनुभाग अधिकारी, अधिभार

16/1/08
लेखा परीक्षा अधिकारी/अधिभार